

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक... 81/... दोसा/... 2004-2005

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बैपसावत शिक्षण समिति
सूरतपुरा तहसील धाखसोट जिला दोसा
का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज
किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक उनतीस माह सितम्बर सन् 2004 को दोसा
में दिया गया।


रजिस्ट्रार संस्थाएं
दोसा

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,
दौसा

क्रमांक फा./रजि/संस्थायें 1234

जयपुर, दिनांक 29/9/04

अध्यक्ष/मंत्री.

श्री ज्योत्सना शिखर समिति
सूरतपुरा तहसील लालसोड
जिला- दौसा

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 81/दौसा/2004-05
दिनांक 29/09/2004 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति का सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें
भिजवाना आवश्यक हैं:-

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिनकी सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति समिति या अन्य प्रार्थी विकास के शाषकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है कि दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तारीख सही प्रतिलिपि जो प्रार्थी विकल्प के शासको, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियों सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा विधाने नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या, सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इंकार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान, नियमावली, चुनाव, सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4 (क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्धी पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना के दण्ड की भागीदार होगी।

श्री बैपलावत शिक्षण समिति सूरतपुरा
तहसील लालसोट जिला दौसा

तुलनात्मक स्टेट मैन्ट

संशोधित विधान क्रमांक -3

पूर्व	संशोधित
विधान क्रमांक- 3 में संशोधन पूर्व में संस्था के उद्देश्य निम्न थे ।	विधान क्रमांक-3 में संशोधन संस्था के बढाये गये उद्देश्य निम्न है ।
1 समिति अनु. जाति व जनजाति तथा पिछडा वर्ग के गरीब छात्र - छात्राओं के शिक्षण कार्य में सहयोग करेगी ।	1 यथावत
2 पुरातत्व , इतिहास , भाषा विकास , विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थापना में सहयोग करेगी ।	2 यथावत
3 आदिवासी , वनवासी , विकलांग एवं अन्य विद्यार्थियों के शिक्षण में सहयोग तथा उच्च शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण , डिग्री कॉलेज तकनीकी शिक्षा की स्थापना करना व प्रबन्ध करना ।	3 यथावत
4 नैतिक शिक्षा , सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने में सहयोग	4 यथावत
5 समिति साक्षरता को बढाने में सहयोग करेगी ।	5 यथावत
6 समिति संगीत , नाटक , कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के क्षेत्र में सहयोग करेगी ।	6 यथावत
7 समिति विधवा , तलाक शुद्धा एवं विकलांग एवं आर्थिक रूप से पिछडी महिलाओं को निम्न दर पर शिक्षण कार्य में सहयोग करेगी	7 यथावत
8 समिति खेलकूद के क्षेत्र में सहयोग एवं महिला शिक्षण कार्य को बढाने में सहयोग ।	8 यथावत

कमलेश
अध्यक्ष

संगीता
मंत्री

कजोड
कोषाध्यक्ष

9	समिति छात्र-छात्राओं को देश की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के साथ पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान करने में काम करेगी।	9	यथावत
10	समिति छात्र-छात्राओं को भारतीय कला, वेशभूषा, रहन सहन एवं त्यौहारों के बारे में जानकारी प्रदान करायेगी।	10	यथावत
11	समिति पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण में सहायता तथा जनसंख्या संकट को नियंत्रित करने के लिए लोगो को जागृत करना।	11	यथावत
12	समिति वृक्षा रोपण को बढ़ावा देने एवं सामाजिक वाहिनी के विकास एवं संरक्षण को बढ़ावा देना।	12	यथावत
13	समिति हिन्दी भाषा एवं देव नागरी लिपि के ज्ञान एवं प्रसार के क्षेत्र में सहयोग करेगी।	13	यथावत
14	समिति जाति, लिंग, नस्ल और रंग भेद के बिना मानवता के विकास एवं उनके शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करेगी।	14	यथावत
15	वसुदेव कुटुम्बकम के सिद्धान्त पर विश्वास, सहयोग और वैश्विक भाई चारे वाले समाज की स्थापना के प्रयास करेगी।	15	यथावत
		16	दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रमिक नशा मुक्ति जैसी सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा परिवार कल्याण के लिए लोगो में जन जागृति फैलाना घुमक्कड़, खानाबदोश एवं गाडिया लुहारों जाति के लोगो को शिक्षा देना एवं उनके जीवन स्तर को सुधारना तथा सार्वजनिक सुविधाओं शौचालयों आदि की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाना।

कमलेश
अध्यक्ष

संगीता
मंत्री

कजोट
कोषाध्यक्ष

		<p>17. जन कल्याण, जीय कल्याण, पशु पक्षी कल्याण को संरक्षण को संरक्षण प्रदान करना तथा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के कार्य करना। बरसात के पानी के रख-रखाव की व्यवस्था करना तथा जलाशयों की खुदाई तथा नरम्मल का कार्य करवाना।</p>
		<p>18. शिक्षा के क्षेत्रों में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा में महाविद्यालयों का नियमानुसार मान्यता प्राप्त कर संचालन करना। जन कल्याण के मिलने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। आवासीय प्रशिक्षण में साक्षरता के तहत बालिकाओं को साक्षर बनाना। होनहार व प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार एवं प्रशिक्षण देना। कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति जागरूक करना।</p>

कमलेश
अध्यक्ष

संगीता
मंत्री

कजोड
कोषाध्यक्ष

प्रस्तुत रिकार्ड की फोटोप्रति
12/10/09
रजिस्ट्रार संस्थाएं
दोसा

श्री बैपलावत शिक्षण समिति सूरतपुरा त. लालसोट जिला दौसा राजस्थान

तुलनात्मक स्टेट मैन्ट संशोधित विधान क्रमांक

पूर्व	संशोधित
1. विधान क्रमांक -2 में संशोधन-पूर्व संस्था का कार्यक्षेत्र दौसा जिला सीमित था।	विधान क्रमांक -2 में संशोधन संस्था का कार्यक्षेत्र संशोधित करके सम्पूर्ण राजस्थान इसका कार्यक्षेत्र रहेगा।



Babulal
अध्यक्ष

प. नरसिंह
मंत्री

कुमार
कोषाध्यक्ष

AMENDMENT 13/09/2006
REGISTERED THIS DAY THE...

वज्रवर्मा
हस्ताक्षर दौसा

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री लैपलावत शिक्षण समिति
समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहे
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लैपलावत रावत, ग्रा. पो. सुरतपुरा, तह. - लालखोर, जिला दौसा (राज.) तथा इसका कार्यक्षेत्र रायपुरी दौसा जिला क्षेत्र तक सीमित हो
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
1. समिति अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं की शिक्षण कार्य में सहयोग।
 2. पुरातत्व, इतिहास, भाषा, विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग।
 3. आरिफादी, अनुवासी, निरक्षर एवं अन्य विद्यार्थियों के शिक्षण में सहयोग।
 4. नैतिक शिक्षा सामाजिक एवं भारतीय मूल्यों के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने में सहयोग।
 5. समिति साक्षरता को जिले में बढ़ाने में सहयोग करेगी।
 6. समिति संगीत, नाटक, कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का क्षेत्र में सहयोग करेगी।
 7. समिति विधवा, तलाकशुदा, विकलांग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला को निजन्दर पर शिक्षण कार्य में सहयोग करेगी।
 8. समिति खेलकूद के क्षेत्र एवं महिला शिक्षण कार्य को जिले में बढ़ाने में सहयोग।
 9. समिति छात्र छात्राओं को देश की आर्थिक, सामाजिक, भौतिक स्थिति के साथ पर्याप्त रहस्य के आर में जानकारी प्रदान करने में काम करेगी।
 10. समिति छात्र छात्राओं को भारतीय कला, वेशभूषा, रत्न सदन एवं त्योहारों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
 11. समिति परिवार और अन्य जीवन के संरक्षण के लिए शिक्षण में सहयोग देगी।
 12. समिति जनसंख्या संकट को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक बनाने में सहयोग देगी।
 13. समिति संस्कृत को बढ़ावा देने एवं सामाजिक न्याय के लिए सहयोग देगी।
 14. समिति हिंदी भाषा तथा दस्तावेजी लिपि के ज्ञान एवं प्रचार के क्षेत्र में सहयोग करेगी।
 15. समिति लिंग, नस्ल और रंगभेद के बिना मानवता के विकास एवं समानता के सिद्धांतों में सहयोग प्रदान करेगी।
 16. समिति कृषि पर विश्वास, सहयोग और वैश्विक आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Babuldas
अध्यक्ष

श्री लैपलावत
मन्त्री

सुभा
कोषाध्यक्ष

- 5- कोषाध्यक्ष :
- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- वार्षिक लेखों पर विवरण देना।
- 3- बजट/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर शीघ्र देना।
- 4- अन्य प्रयोज्य कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संभाल होगा :

- 1- कोषाध्यक्ष
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजस्व अर्पण

- 1- उक्त प्रकार से संभाल रखी किसी सहाय्यता सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

संस्था के दिन में तथा कार्य में समय की आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की सहाय्यता प्राप्त कर सकेंगे।

- 1- अध्यक्ष 25,000/- रु.
- 2- मन्त्री 20,000/- रु.
- 3- कोषाध्यक्ष 5000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुदान प्रदाता कार्यालय से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियमित प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जायेगा।

18. संस्था का अंकेक्षण

संस्था के अंकेक्षण करने के लिये क. आर. वि. अधिनियम लागू किया जायेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन सम्मेलन के द्वारा सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्तन सम्मेलन के द्वारा किया जा सकता है। संशोधन अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अन्वये होगा।

20. संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था को समस्त चल द अचल सम्पत्ति समान रूप से बाँटी जायेगी। संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अन्वये होगी।

21. संस्था के लेखों का निरीक्षण

संस्था के लेखों का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये राशियों की पूर्ति की जावेगी।



संस्था का नाम है कि... (संस्था का नाम) को संस्था के लेखों का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये राशियों की पूर्ति की जावेगी।

22/11/2011
अध्यक्ष

22/11/2011
कोषाध्यक्ष

22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यावसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री लालु बाल गीता ड। श्री सुनारायण मीना	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्रा.पो. बिलौना कला तह. लालखोट, दौवा	अध्यक्ष
2.	श्री कन्हैया गीता ड। श्री लक्ष्मी नारायण मीना	लेखिका	ग्रा.पो. - सूरपुरा, तह. लालखोट, दौवा	मंत्री (सा)
3.	श्रीमती सुगम मिश्रा ड। श्री देवेन्द्र मिश्रा	व्यापार	तम्बाकू पाडा, लालखोट जिला - दौवा (यम.)	कोषाध्यक्ष
4.	श्रीमती प्रभाती देवी मीना ड। श्री रामेश्वर प्रसाद मीना	व्यापार	मीना कालोनी, स्टेट वेयर हाउस के पीछे - दौवा	उपाध्यक्ष
5.	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा ड। श्री छ. गैदा बाल मिश्रा	सेवानिवृत्त पुरामा कार्य	तम्बाकू पाडा, लालखोट जिला - दौवा (यम.)	सदस्य
6.	श्री लाला चन्द्र रैगर ड। श्री रामनाथ रैगर	कृषक	ग्रा.पो. - सूरपुरा, तह. लालखोट, जि. - दौवा	सदस्य
7.	श्री रेवडमल रैगर ड। श्री जलिया रैगर	कृषक	ग्रा.पो. - सूरपुरा, तह. लालखोट, जि. - दौवा	सदस्य
8.	श्री रामकिशोर मीना ड। श्री राज लाल मीना	व्यापार	ग्रा.पो. - सूरपुरा, तह. लालखोट, जि. - दौवा	सदस्य
9.	श्री सीता राम रैगर ड। श्री सोहन लाल	व्यापार	ग्रा.पो. - सूरपुरा, तह. लालखोट, जि. - दौवा	सदस्य
10.	श्री रमेश चन्द्र मीना ड। श्री कन्हैया लाल	सामाजिक कार्यकर्ता	मीना कालोनी, स्टेट वेयर हाउस के पीछे - दौवा	सदस्य
11.	श्रीमती प्रमिला मौर्य श्री रामकिशोर मौर्य	व्यापार	चित्रगुप्त कोलोनी, दौवा	सदस्य
12.	श्री राजेश चन्द्र मौर्य श्री लक्ष्मी मौर्य	सामाजिक कार्यकर्ता	श्यालावास कला बारी, दौवा	सदस्य
13.	श्री बुद्धू कान्हो मौर्य श्री नारायण मौर्य	ठेकेदार	ग्रा.पो. - नयावास, तह. लालखोट, दौवा	सदस्य
14.	श्री कालु राम मीना श्री जलदेव मीना	व्यापार	ग्रा.पो. - सूरपुरा, तह. लालखोट, दौवा	सदस्य
15.	श्री धनराम मीना श्री कन्हैया मीना	ठेकेदार	ग्रा.पो. - सूरपुरा, तह. - लालखोट, दौवा	सदस्य

B. K. S. S.

ज. श. कान्त
मंत्री
(5)

सुशान
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रयोग हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत कारवाने के दृष्टिकोण हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ता
1.	श्री बाबु लाल गीना श्री रूपनारायण गीना	सां. प्र. वि. नि. कर्म कर्मचारी	शा. पो. - बिरुना बुरा तह. - लालखोट, दोषा	Bak
2.	श्री चन्द्रनंदा मीना श्री श्री लक्ष्मी नारायण गीना	सेवागार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
3.	श्रीमती सुमन मिश्रा श्री श्री देवेन्द्र मिश्रा	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
4.	श्रीमती प्रभाती देवी मीना श्री श्री रामेश्वर प्रकाश मीना	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
5.	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा श्री स्व. जैदा लाल मिश्रा	सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य	श्री गंगाकाफोरी स्टेट प्र लेबर काउंसिल, पी. डी. डोषा	
6.	श्री कैलाश चन्द्र रेग्वाडा श्री रामजाय रेग्वाडा	व्यापार	तह. - लालखोट, दोषा	
7.	श्री देवदत्त रेग्वाडा श्री श्री जे. ए. रेग्वाडा	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
8.	श्री रामनिशोर मीना श्री श्री रत्न लाल मीना	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
9.	श्री श्री. वि. राम रेग्वाडा श्री श्री साधन लाल	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
10.	श्री रमेश चन्द्र मीना श्री श्री कन्हैया लाल	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
11.	श्रीमती उर्मिला रेग्वाडा श्री श्री रामनिशोर रेग्वाडा	व्यापार	श्री गंगाकाफोरी - 2 रेग्वाडा काउंसिल, पी. डी. डोषा	
12.	श्री राजेश कुमार धवन श्री श्री नरेश राम	व्यापार	श्री गंगाकाफोरी - 2 रेग्वाडा काउंसिल, पी. डी. डोषा	
13.	श्री सुधीर कौत मीना श्री श्री वाराह मीना	व्यापार	श्री गंगाकाफोरी - 2 रेग्वाडा काउंसिल, पी. डी. डोषा	
14.	श्री श्री. वि. राम रेग्वाडा श्री श्री साधन लाल	व्यापार	श्री गंगाकाफोरी - 2 रेग्वाडा काउंसिल, पी. डी. डोषा	
15.	श्री श्री. वि. राम रेग्वाडा श्री श्री साधन लाल	व्यापार	श्री गंगाकाफोरी - 2 रेग्वाडा काउंसिल, पी. डी. डोषा	
16.	श्री श्री. वि. राम रेग्वाडा श्री श्री साधन लाल	व्यापार	श्री गंगाकाफोरी - 2 रेग्वाडा काउंसिल, पी. डी. डोषा	
17.	श्री रत्न लाल मीना श्री श्री स्व. श्री. राम लाल मीना	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	
18.	श्री रामजी लाल मीना श्री श्री रत्न लाल मीना	व्यापार	शा. पो. - सुरपुरा तह. - लालखोट, दोषा	

Signature

श्री. वि. राम रेग्वाडा
मन्त्री

सुमन
कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.	श्री रेवडमल शर्मा वी. श्री बालकृष्ण शर्मा	कृषक	गा.पो.-सुरतपुरा तह.-लालखोट, दोहा	रेवड
20.	श्रीमती शोभा गीना श्री अशोक कुमार गीना	अध्यापिका	गा.पो.-सुरतपुरा तह.-लालखोट, दोहा	शोभा गी
21.	श्री कवचपाल गीना श्री स्व. रंगलाल गीना	केन्द्र-कर्मचारी	गा.पो.-अम्नाबाड़ी, तह.-लालखोट, दोहा	कवचपाल
22.	श्री डीरालाल गीना श्री लोटशारम	केन्द्र-कर्मचारी	गीना को कौनी, स्टेट नगर हाउस के पीछे दोहा	डीराल
23.	श्री गोपाल गीना श्री रेवडमल गीना	अध्यापक	गा.पो.-मण्डवरी तह.-लालखोट, दोहा	गोपाल
24.	श्री जगदीश प्रकाश मैथी श्री श्री लाल	व्यापार	चित्रपुरा कालोनी दोहा (बम.)	जगदीश
25.	श्री शम्भु खन्ना मीना श्री श्री लाल मीना	व्यापार	गा.पो.-पालुडा तह.-लालखोट, दोहा	शम्भु खन्ना



(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) ...
(6) ...

डा. रंजित / 2004-05

श्री विमला कुमारी शिक्षण समिति सुरतपुरा तहसील
दोहा (बम.)

23/09/04

हस्ताक्षर
नाम
पता

23/09/04

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

अशोक कुमार गीना (व्यापार)
99- सुरतपुरा,
तह.-लालखोट (दोहा)

हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
दोहा (बम.)

रेवड श्री. मा. विद्यालय
दोहा (बम.)

कोषाध्यक्ष

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री लैपलाजत शिक्षण समिति
समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेग
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय लैपलाजत सादन, शा.पो.सुरत
तह. लाल रोड, जिला. दोटा (राज.)
तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण दोटा क्षेत्र तक सीमित होगा
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
 1. समिति अन्य समिति व जन. ज्ञान तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं के शिक्षण कार्य में सहयोग
 2. पुरातत्व, इतिहास भाषा विकास, विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग तथा प्राश्रितिक एवं आर्थिक शिक्षण की स्थापना में सहयोग करेगी।
 3. आदिवासी, कुलासी, जिनका कोई अन्य विद्यार्थियों के शिक्षण में यशस्वी तथा उच्च शिक्षण में शिक्षण प्रशिक्षण, उच्चिकालेज, तब. पी. वि. शिक्षा की स्थापना में सहयोग
 4. नैतिक, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक सुखों के क्षेत्र में जानकारी प्रदान व. में सहयोग
 5. समिति साक्षरता को जिले में बढ़ाने में सहयोग करेगी।
 6. समिति लैंगीन, जातक, कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के क्षेत्र में सहयोग करेगी।
 7. समिति विधवा, तलाकशुद्धा, विकलांग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को निम्नतर पर शिक्षण कार्य में सहयोग करेगी।
 8. समिति खेलकूद के क्षेत्र में सहयोग एवं मजबूत शिक्षण कार्य को जिले में बढ़ाने में सहयोग।
 9. समिति छात्र छात्राओं को देश की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के साथ पर्यावरण स्थितों के बारे में जानकारी प्रदान करने में काम करेगी
 10. समिति छात्र छात्राओं को भारतीय कला, वेशभूषा, रहन-सहन एवं साहित्य के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
 11. समिति समाज और वंश जीवन के अंशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करने में सहयोग को बढ़ावा देने एवं आभाषित वादियों को संरक्षण को बढ़ावा देना।
 12. समिति हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि के ज्ञान एवं प्रचार के क्षेत्र में सहयोग करेगी
 13. समिति जाति, लिंग, नस्ल और रंगभेद के बिना मानवता के विकास एवं उनके शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करेगी।
 14. प्रसिद्ध सुन्दर्यम के सिद्धान्त पर विश्वास, सहयोग और प्रचार कार्य को बढ़ावा देने समान ही स्थापना के प्रयास करेगा।



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Signature
अध्यक्ष

सचिव

सुमन
कोषाध्यक्ष

सदस्यता

निम्न योज्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का दर्जाकरण

: संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1- संरक्षक
 - 2- विशिष्ट
 - 3- सम्माननीय
 - 4- साधारण
- (जो लागू न हो, उसे बाट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

: उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- 1- संरक्षक राशि..... वार्षिक/आजन्म
- 2- विशिष्ट राशि..... वार्षिक/आजन्म
- 3- सम्माननीय राशि..... वार्षिक
- 4- साधारण राशि..... वार्षिक

उपरोक्त राशि एक मुश्त अगवा रु..... की नगरीय दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन

: संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1- मृत्यु होने पर
- 2- त्याग पत्र देने पर
- 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

साधारण सभा

: संस्था के सदस्यों संख्या 5 में वर्णित : अमरत प्रखर के सदस्य बलदेव साधारण सभा का

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य

: साधारण सभा निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।
- 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो संविधान के कार्यान्वयन में पालन करना आकर प्रस्तावित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

Babuji
अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जाएगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निवृत्त स्थान व समय पर आयोजित की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, वे लिखित आवेदन पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आयोजित करना अनिवार्य हो निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक बुलाई जाने पर उक्त 15 सदस्य से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जार्वर, तथा इस प्रकार की बैठक में (कोरम) समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. अध्यक्ष-एक | 2. उपाध्यक्ष-एक |
| 3. मंत्री-एक | 4. कोषाध्यक्ष-एक |
| 5. सदस्य- | |

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जायें, तो यहां अंकित कर कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी सदस्य कुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-
- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
 - 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
 - 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
 - 4- वार्षिक कर्मकरियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
 - 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
 - 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
 - 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।



Babu/aj
अध्यक्ष

.....
मंत्री

.....
कोषाध्यक्ष

कारिणी की बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी मुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का फोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. फोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में फोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन निवारणीय विषय बची होंगे, जो एजेंडा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

5. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

- 1- बैठकों को आहूत करना।
- 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संपिदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा संस्था के अधिकारों का उपयोग करना।

3- मंत्री :

- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन गा यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

- 1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

मंत्री

कोषाध्यक्ष

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- वार्षिक लेखा पर निरीक्षण रखना।
- 3- बन्ध/शुल्क/अनुदान आदि जांच कर रखीये देना।
- 4- अन्य प्रस्ताव कार्य संपन्न करना।

16. संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संरक्षित होगा :

- 1- कोष
 - 2- शुल्क
 - 3- अनुदान
 - 4- सहायता
 - 5- राजकीय अल्प
- 1- उपरोक्त प्रकार से संरक्षित राशि किसी सम्प्रभियुक्त सहायारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सन्वन्धी विशेषाधिकार

संस्था के दिवस में तथा कार्य में समय की आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की शीर्ष एवं मुख्य स्वीकृत कर रहेगे।

- 1- अध्यक्ष 25,000/-
- 2- मन्त्री 25,000/-
- 3- कोषाध्यक्ष 5000/-

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रदेस/राज्य से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति एवं प्रशासिकाई कार्य की जिम्मेदारी

18. संस्था का निरीक्षण
19. संस्था का विधान में परिवर्तन

संस्था के संरक्षण एवं कार्य में आवश्यकता अनुसार कराया जायेगा।

20. संस्था का विघटन

संस्था के विघटन में आवश्यकता अनुसार साधारण सभा के मुख्य सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिचित, परिशुद्धि करवाते समय संस्था का भविष्य एवं मुख्य स्थान सचिव/प्रशासन अधिकारी को 1958 की धारा 12 के अनुसार देना।

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की सम्पत्त चतुर्दश अथवा अधिक सम्पत्ति समान रूप से विभाजित कर दी जायेगी लेकिन उपरोक्त सम्पत्ति कार्यवाही राजस्थान सरकार के अधिकार में 1958 की धारा 13 व 14 के अनुसार होगी।

21. संस्था के लेखों जोखे का निरीक्षण



संस्था के लेखों का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सूझावों की पूर्ति की जायेगी।

संस्था के लेखों का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सूझावों की पूर्ति की जायेगी।

अध्यक्ष
संस्थाध्यक्ष

27/11/1954
27/11/1954

कोषाध्यक्ष

कार्यालय:-श्री बैपलावत शिक्षण समिति,सुरतपुरा
शाखा-कार्यालय-मत्स्य कॉलेज,प्लाट न. सी-27,अयोध्या नगर,सैथल रोड़,दौसा
कुल सदस्यों की सूची वर्ष 2020-21

क्र.स.	नाम/ पिता का नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति कविता मीना पत्नी श्री कजोड़मल मीना	अध्यक्ष	सी-27,अयोध्या नगर,सैथल रोड़,दौसा	कविता मीना
2.	श्रीमति मंजू देवी पत्नी रामकिशन मीना	उपाध्यक्ष	ग्राम मालपुरिया पो. नांगल बैरसी तह. दौसा जिला दौसा	मंजू देवी
3.	भगवान सहाय मीना पुत्र श्री सोन्याराम मीना	सचिव	ग्राम मालपुरिया पो. नांगल बैरसी तह. दौसा जिला दौसा	द० भगवान
4.	श्रीमति ममता कंवर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़	कोषाध्यक्ष	गौशाला के सामने,झॉलरा का बास टहलडी,दौसा	ममता
5.	श्रीमति राजन्ती देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार	सदस्य	ग्राम झेरा तह. दौसा जिला दौसा	राजन्ती
6.	श्रीमति संगीता मीना पत्नी श्री हीरालाल मीना	सदस्य	अशोक नगर दौसा जिला दौसा	संगीता
7.	चन्द्रकान्ता मीना पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण मीना	सदस्य	ग्राम पो. भाडोती तह. बौली,सवाई माधोपुर	चन्द्रकान्ता
8.	श्रीमति सुमन मिश्रा पत्नी श्री बेचेन्द्र मिश्रा	सदस्य	तम्बाकू पाडा लालसोट तह. लालसोट जिला दौसा	सुमन
9.	श्री रमेशचन्द्र मिश्रा पुत्र श्री गैदालाल मिश्रा	सदस्य	तम्बाकू पाडा लालसोट तह. लालसोट जिला दौसा	रमेश
10.	श्रीमति उर्मिला मौर्य पत्नी श्री राकिशोर मौर्य	सदस्य	चित्रगुप्त कॉलेजी दौसा जिला दौसा	उर्मिला मौर्य
11.	श्री राजेश कुमार धवन पुत्र श्री नत्थूराम	सदस्य	ग्राम श्यालावास तह. बसवा जिला दौसा	R K Dhawan
12.	श्रीमति अन्जूलता मीना पत्नी श्री हरीश कुमार	सदस्य	शिवाजी मार्ग, जवाहर नगर कोटा जिला कोटा	अन्जूलता
13.	श्री बालकिशन महावर पुत्र श्री नानगराम महावर	सदस्य	नयावास तह. नांगल राजावतान जिला दौसा	बालकिशन
14.	योगेश कुमार सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी	सदस्य	ग्राम बहरावण्डा तह. सिकराय जिला दौसा	योगेश
15.	डा. नरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र स्व. शक्ति सिंह-राठौड़	सदस्य	गौशाला के सामने,झॉलरा का बास टहलडी,दौसा	नरेन्द्र
16.	श्री पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री मालीराम गुप्ता	सदस्य	खोह दरीबा तह. राजगढ जिला अलवर	पवन
17.	श्री रामकरण मीना पुत्र श्री घासीराम मीना	सदस्य	ग्राम पो. झेरा तह. दौसा जिला दौसा	रामकरण
18.	श्री मुरारीलाल पुत्र श्री ओमप्रकाश उपाध्याय	सदस्य	कापडी मोहल्ला, दौसा जिला दौसा	मुरारीलाल
19.	श्रीमति उगन्ती देवी पत्नी श्री राजेश कुमार मीना	सदस्य	मालपुरिया पो. नांगल बैरसी तह. दौसा जिला दौसा	उगन्ती
20.	श्रीमति सविता देवी पत्नी श्री रतिराम मीना	सदस्य	खोह दरीबा तह. राजगढ जिला अलवर	सविता



कविता मीना

अध्यक्ष

श्री बैपलावत शिक्षण समिति
पोस्टपुरा-लालसोट,जिला दौसा(राज.)

द० भगवान

सचिव

श्री बैपलावत शिक्षण समिति
गाँव: सुरतपुरा तह. लालसोट (दौसा)

ममता

कोषाध्यक्ष

श्री बैपलावत शिक्षण समिति
सुरतपुरा,त.-लालसोट जि.दौसा (राज.)

कार्यालय:-श्री बैपलावत शिक्षण समिति,सुरतपुरा

शाखा कार्यालय-मत्स्य कॉलेज,प्लाट न. सी-27,अयोध्या नगर,सैथल रोड,दौसा
आम सभा के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22.10.2020 के अनुसार निर्वाचित
कार्यकारिणी की सूची वर्ष 2020-21

251

क्र. स.	नाम/ पिता का नाम	पद	व्यवसाय	पूर्ण पता
1.	श्रीमति कविता मीना पत्नी श्री कजोडमल मीना	अध्यक्ष	अध्यापन	सी-27,अयोध्या नगर,सैथल रोड,दौसा
2.	श्रीमति मंजू देवी पत्नी रामकिशन मीना	उपाध्यक्ष	ग्रहणी	ग्राम मालपुरिया पो. नांगल बैरसी तह. दौसा जिला दौसा
3.	भगवान सहाय मीना पुत्र श्री सोन्याराम मीना	सचिव	कृषि	ग्राम मालपुरिया पो. नांगल बैरसी तह. दौसा जिला दौसा
4.	श्रीमति ममता पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड	कोषाध्यक्ष	ग्रहणी	गौशाला के सामने,झॉलरा का बास टहलडी,दौसा
5.	श्रीमति राजन्ती देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार	सदस्य	ग्रहणी	ग्राम झेरा तह. दौसा जिला दौसा
6.	श्रीमति संगीता मीना पत्नी श्री हीरालाल मीना	सदस्य	ग्रहणी	अशोक नगर दौसा जिला दौसा
7.	चन्द्रकान्ता मीना पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण मीना	सदस्य	अध्यापन	ग्राम पो. भाडोती तह. बौली,सवाई माधोपुर
8.	श्रीमति सुमन मिश्रा पत्नी श्री देवेन्द्र मिश्रा	सदस्य	ग्रहणी	तम्बाकू पाडा लालसोट तह. लालसोट जिला दौसा
9.	श्री रमेशचन्द्र मिश्रा पुत्र श्री गेदालाल मिश्रा	सदस्य	प्राचार्य अध्यापन	तम्बाकू पाडा लालसोट तह. लालसोट जिला दौसा
10.	श्रीमति उर्मिला मौर्य पत्नी श्री राकेशमोर मौर्य	सदस्य	अध्यापन	चित्रगुप्त कॉलेजी दौसा जिला दौसा
11.	श्री राजेश कुमार धवन पुत्र श्री नत्थूराम	सदस्य	व्याख्याता	ग्राम श्यालावास तह. बसवा जिला दौसा
12.	श्रीमति अन्जूलता मीना पत्नी श्री हरीश कुमार	सदस्य	ग्रहणी	शिवाजी मार्ग, जवाहर नगर कोटा जिला कोटा
13.	श्री बालकिशन महावर पुत्र श्री नानगराम महावर	सदस्य	अध्यापन	नयावास तह. नांगल राजावतान जिला दौसा
14.	योगेश कुमार सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी	सदस्य	कम्प्यूटर कार्य	ग्राम बहरावण्डा तह. सिकराय जिला दौसा
15.	डा. नरेन्द्र सिंह राठौड पुत्र स्व. शक्तिसिंह राठौड	सदस्य	प्राचार्य व्याख्याता	गौशाला के सामने,झॉलरा का बास टहलडी,दौसा



कविता मीना
अध्यक्ष

डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड

ममता
कोषाध्यक्ष

श्री बैपलावत शिक्षण समिति
ग्रा.पो. सुरतपुरा तह. लालसोट, जिला दौसा (राज.)

श्री बैपलावत शिक्षण समिति
ग्रा.पो. सुरतपुरा तह. लालसोट (दौसा)

प्रमाणित श्री बैपलावत शिक्षण स
सुरतपुरा तह. लालसोट जिला दौसा
निर्वाचन अधिकारी

राजस्थान सोसायटी अधि. नियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गये पत्र, जो इस कार्यालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 255 से 256 तक उपलब्ध हैं, की प्रमाणित प्रति हैं। संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधानिकता के संबंध में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रमाणित प्रति देने का दिनांक 03/11/2020 तक तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

सहायक आचार्य
स्व. 40 10 किशोर शर्मा
राजकीय महाविद्यालय दौसा

रजिस्ट्रार संस्था